देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रेफरैंस संख्या –2019/bkr01

शनिवार, 23 नवम्बर 2019

कर्तव्यपरायणता बनाम डील?

शराब में मिलावट करते दो जनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बावजूद आबकारी विभाग शराब की दूकान का लाईसेंस निरस्त क्यों नहीं कर रहा?

लाईसेंसी आशा देवी की शिप्रा पथ,मानसरोवर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान

कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी की दूकान पर आबकारी विभाग ने औचक निरिक्षण कर,कार्यवाही को दिया अंजाम

दिनांक 03/11/2019 को रविवार के दिन, आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव द्वारा जयपुर ग्रामीण के सहायक आबकारी अधिकारी श्री गौरव मणि जौहरी के दिशा-निर्देशों में प्रातः 10 से 11 बजे के आस पास सांगानेर क्षेत्र के जोन-11 में स्थित कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी लाईसेंसी आशा देवी की शिप्रा पथ,मानसरोवर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरिक्षण किया|सूत्रों के अनुसार आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव ने दो व्यक्तियों नरेन्द्रसिंह व अन्य को रॉयल स्टेग,इम्पीरियल ब्ल्यू,ब्लेंडर प्राइड व अन्य ब्रांडों की नकली शराब बनाते/शराब में पानी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था,मौके पर उन्हें शराब के 100 से 200 के बीच उपरोक्त ब्रांडेड शराब के नए ढक्कन मय सील,खाली बारदाना और बड़ी मात्रा में पानी भी जब्त किया था,इन सामग्रियों का उपयोग कर, दोनों व्यक्ति पानी/अन्य रसायन/छोटे ब्रांड की शराब को बारदाने में भर कर ढक्कन मय सील का उपयोग करके मिलावटी शराब बना रहे थे,इन दोनों व्यक्तियों को आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव और सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गौरव मणि जौहरी मौके से गिरफ्तार कर आबकारी कार्यालय ले आये,जहाँ

शराब में मिलावट, दो गिरफ्तार

छापा मारा

- दुकान सील, राजनेता के नाम की चर्चा

पंजाब केसरी/जयपुर

आबकारी विभाग ने शहर में शराब की एक दुकान में शराब में मिलावट का मामला पकड़ते हुए दो सैल्समैन को गिरफ्तार किया है। मामला मानसरोवर का है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि शिप्रा पथ पर अंग्रेजी शराब की एक दुकान में मिलावटी शराब बेची जा रही है। इस पर विभाग की टीम ने दुकान पर छापा मारा, तो वहां दो सैल्स मैन बोतलों में मिलावट करते मिले। मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दुकान को सील कर दिया गया। बताया जाता है कि दुकान एक पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम है।

इस बात की जानकारी विभाग के अफसरों को मिली, तो उनके हाथ-पांव फूल गए। हालांकि दुकान का लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर मिलावट के ज्यादातर मामलों में लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हो चुकी है।

इनका कहना है

शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई थी। दो सैल्समैन को गिरफ्तार किया गया। शराब के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

-सुनील भाटी, जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर)

पर जयपुर ग्रामीण के सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गौरव मणि जौहरी,आबकारी पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक श्री प्रेम सिंह जोधा,कार्यालयकर्मी बाबूलाल व अन्य स्टाफ कर्मचारियों की मौजूदगी में केस बनाने की खानापूर्ति की गयी|गौरतलब बात यह है कि इस औचक निरिक्षण के बाद ना तो उक्त दूकान को सील किया गया और ना ही किसी प्रकार की फर्द सील का नोटिस चस्पा किया गया|

दूकान का औचक निरिक्षण करने के बाद चला डील का खेल

बताया जाता है कि यह कार्यवाही करने के बाद वहां उपस्थित सभी आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लाईसेंसी से सांठ-गाँठ कर महज 5-10 ढक्कनों की बरामदगी बता एवं मिलावटी पानी सहित शराब को खुर्दबुर्द कर,दूकान से लायी गयी ओरिजिनल पैक्ड शराब को प्रयोगशाला में जांच रिपोर्ट के लिए भिजवाना बता कर,दूकान का लाईसेंस निरस्त नहीं करने की एवज में लाईसेंसी व सम्बंधित ठेकेदार से मोटी रकम ऐंठी गयी है|हालांकि अभी तक विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर मिडिया को कोई बात नहीं बताई गयी है|

सुचना के अधिकार के तहत मांगी गयी है सभी सूचनाएं

इस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात करने के लिए हमारे द्वारा सुचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया है|देखना यह है कि लोक सुचना अधिकारी के तौर पर नियुक्त जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भाटी एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते इस मामले का खुलासा करते है या फिर कोई कोई अडंगा लगा कर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ताला लगाने की?

सहायक आबकारी अधिकारी गौरव मणि जौहरी का दांव पड़ा उल्टा

जानकारो के अनुसार वास्तव में इस दूकान को जयपुर का एक शराब ठेकेदार चंदन सिंह चला रहा था,सहायक आबकारी अधिकारी गौरव मणि जौहरी की इस शराब ठेकेदार से पुराने लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था,जिसका बदला लेने के लिए गौरव मणि जौहरी ने इस पूरे औचक निरिक्षण का खाका तैयार किया|जिसके चलते रविवार के दिन सुबह 10 बजे ही इस औचक निरिक्षण को अंजाम दिया गया|परन्तु जब गौरव मणि जौहरी यह कारनामा करके अपने ऑफिस आ चुके और अपने आला अधिकारियों को बहादुरी के किस्से सुना चुके तब उनके और आला अधिकारियों के फोन घनघनाने लगे और खुलासा हुआ कि यह मामला तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री का है|लेकिन तब तक गौरव मणि जौहरी मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ डाल चुके थे,जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने आला अधिकारियों को तो मामला राजनैतिक बताते हुए,कुछ नहीं करने की सलाह दी और स्वयं ने शराब ठेकेदार को लाईसेंस निरस्त करने का भय दिखा कर उससे डील तय कर ली|

जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं सोचते राजस्व का हित?

यदि उपरोक्त साक्ष्यों एवं बरामदगी को ईमानदारीपूर्वक,कर्तव्यनिष्ठा से प्रस्तुत किया जाता तो यह दूकान निरस्त होती,जिससे पुनः लोटरी करने पर लाखों रूपये के राजस्व की प्राप्ति होती परन्तु सहायक आबकारी अधिकारी गौरव मणि जौहरी और आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव ने अपना जादू दिखाते हुए सभी सबूतों को गायब कर दिया और और रिश्वत में मोटी ऐंठ ली|ज्ञात हो कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत के मामलों के चलते ही पूर्व में आबकारी विभाग जयपुर शहर के दो आबकारी निरीक्षक एपीओ हो चुके है|

आखिर रविवार का दिन ही क्यों चुना?

मिलावटखोरों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए: गहलोत

अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के साथ कठोर कार्रवाई करने का संकेत देते हुए कहा कि मिलावटखोरों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। गहलोत ने सोमवार को अजमेर के आजाद पार्क में आयोजित जनसभा में जनसाधारण के बिगड़ते स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू करेगी। उन्होंने मिलावटखोरों को कठोर सजा दिए जाने की वकालत करते हुए कहा - मिलावटखोरों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ती जनसंख्या के चलते सरकार जल्द ही जनता क्लिनिक शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा है। तीन बार मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कभी भी इसमें कमी नहीं रखी और निशुल्क दवाइयों की योजना का लाभ राज्य की जनता को ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिला। सरकार की मुफ्त दवा योजना की सौगात की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। जिसके कारण देश के अनेक राज्यों में राजस्थान निशुल्क दवा वितरण का संदेश पूरे देश में गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुले। इससे पहले आजाद पार्क से ही मुख्यमंत्री गहलोत ने साढ़े छह करोड़ रुपए की लागत से बने पंचशील स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा लोहागल ग्राम स्थित चार करोड़ से ज्यादा लागत वाले राजकीय आचार्य संस्कृत कॉलेज के भवन का रिमोट कंट्रोल के जरिए लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉ. रघु शर्मा, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, प्रभारी प्रमोद जैन भाया भी उपस्थित रहे।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अधिकारी सप्ताह के बाकी छह दिन भी ढंग से काम नहीं करते वह इतने कर्तव्यपरायण कैसे हो गए कि रविवार 10 बजे दूकान खुलते ही रेड डाल दी|जानकारों के अनुसार गौरव मणि जौहरी ने रविवार का दिन इसलिए चुना क्यूंकि रविवार को ऑफिस में लोगो की आवाजाही नहीं होती,और 10 बजे कार्यवाही करने से उन्हें मामला सेट करने के लिए पूरा दिन मिल गया|उन्होंने अपने कुछ ख़ास लोगो को ही इस रेड के बारे में बताया और उन्ही से सारी कागजी कार्यवाही करवाई|

डयूटी ग्रामीण में लेकिन ध्यान शहर में

मजे की बात यह है कि गौरव मणि जौहरी की डयूटी सहायक आबकारी अधिकारी,जयपुर ग्रामीण के पद पर है परन्तु ऊँची पहुँच के चलते उन्हें जयपुर शहर के सहायक आबकारी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है|जिससे उनका पुरा ध्यान ग्रामीण में नहीं होकर जयपुर शहर में है,गौरतलब है कि वह काफी समय से निरीक्षक और फिर सहायक आबकारी अधिकारी के तौर पर जयपुर शहर में रहे जिससे उनका शहर के ठेकेदारों से पुराना नाता और लेन देन रहा है|

मुख्यमंत्री तो मिलावटखोरो को फांसी देने की बात करते है और उनके अधिकारी??

एक और जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलावटखोरो को फांसी देने की बात करते नजर आते है वही उनके अधिकारी मिलावटखोरो को छोड़ते नजर आ रहे है|यह हालात तो तब है जबकि आबकारी विभाग में मिलावट की सजा केवल और केवल लाईसेंस का निरस्तीकरण ही है|इससे पहले भी आबकारी विभाग कई लायिसेंसियों के लाईसेंस निरस्त कर चूका है ऐसे में सवाल उठता है कि आबकारी विभाग जयपुर के अधिकारी इस दूकान को ही क्यों बचा रहे है?

कानून का राज या बाप का राज?

अधिकारियों को यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश में कानून का राज है ना की किसी के बाप का?कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कितनी ही कोशिश ले,देर सवेर उसके गुनाहों का कच्चा चिटठा अवश्य खुलेगा,उस समय ना तो इज्जत बचेगी और ना ही दौलत|आज के डिजिटल युग में किसी से कोई बात छुप नहीं सकती भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के दिन अब पहले की तरह वैसे ही ठीक नहीं चल रहे|भलाई इसी में है कि वह ईमानदारी से अपनी तनख्वाह में ही गुजर बसर करना सीख ले और कहते है ना कि कानून के हाथ बहुत लम्बे होते है,ऐसा नहीं हो कि कल के अखबारों में उनकी तस्वीर ही देखने को मिल जाए|यह केवल हमारी नसीहत है बाकी सब आदमी के स्वविवेक पर निर्भर है|

आबकारी विभाग जयपुर शहर के ज़ोन-13 में इसी साल जून माह में निरस्त हो चुकी है लाईसेंसी विजय लक्ष्मी कंवर पत्नी विक्रम सिंह की दूकान

इसी प्रकार में एक प्रकरण में शराब की दूकान पर नकली शराब बनाते रंगे हाथो पकडे जाने पर हाथों हाथ दूकान को सील कर दिया गया था एवं मिलावटी शराब का विक्रय करने पर राजकीय राजस्व को नुकसान पहुचाने तथा संभावित मानवीय त्रासदी को देखते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950,राजस्थान आबकारी नियम 1956 तथा राजस्थान विदेशी मदिरा(थोक व्यापार तथा खुदरा अधिनियम अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम 1982 के अन्तरगतविदेशी मदिरा एवं बीयर की खदरा बिक्री(रिटेल ऑफ) अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 7.3 के अनुसार दोषी मानते हुए आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर लाईसेंसी विजय लक्ष्मी कंवर पत्नी विक्रम सिंह का लाईसेंस निरस्त किया जा चूका है|

राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही का है प्रावधान

ऐसा नही है कि आबकारी अधिनियम में सभी गुनाहों की सजा ठेकेदारों के लिए ही है,जानबूझ कर गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी सजा का प्रावधान किया गया है|परन्तु लालफीताशाही के चलते ऐसा हो नहीं पाता|शायद इस मामले मामले में हो जाए|

60. Penalty for Excise Officer refusing to do duty.- Any Excise Officer who without lawful excuse shall cease or refuse to perform or shall withdraw himself from the duties of his office unless expressly allowed to do so in writing by the Excise Commissioner, or unless he shall have given to his superior officer two months' notice in writing of his intention to do so shall be punished with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

61. Penalty for Excise Officer making vexatious search etc.- If any Excise Officer -

(a) without reasonable grounds of suspicion enters, inspects or searches or causes to be entered, inspected or searched any place; or

(b) vexatiously and unnecessarily seizes any property of any person on the pretence of seizing or searching for any article liable to confiscation under this Act: or

(c) vexatiously and unnecessarily detains, searches or arrests any person;

he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

क्रम संख्या	जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी	नाम
1.	जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शाहर	श्री सुनील भाटी
2.	सहायक आबकारी अधिकारी	श्री गौरव मणि जौहरी
3.	आबकारी निरीक्षक	श्रीमति इंदु यादव
4.	सहायक आबकारी उप निरीक्षक	श्री प्रेम सिंह जोधा
5.	कार्यालयकर्मी	श्री बाबूलाल